परिपत्र–05/2022

राजस्थान सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक एफ.4(300)(1) स्टा./वैण्डर/704-64 दिनांक :24.06.2022

–:परिपत्रः–

राजस्थान स्टाम्प नियम–2004 के अध्याय 5 के अन्तर्गत अधिकृत व्यक्ति द्वारा स्टाम्प विक्रय किए जाने हेतु अनुज्ञा–पत्र जारी करने, नवीनीकरण करने तथा निरस्तीकरण करने आदि के संबंध में विस्तृत प्रावधान किए गए है। स्टाम्प विक्रय किए जाने हेतु अनुज्ञा–पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता निर्धारित प्रपत्र–ए में कलक्टर (मुद्रांक) को आवेदन कर सकेगा। अनुज्ञा–पत्र एवं उसके नवीनकरण हेतु आवेदक ईलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी आवेदन प्रपत्र–एए में प्रस्तुत किया जा सकेगा। अनुज्ञ–ापत्र धारक (Stamp Vendor) नियम–23 के अनुरूप जनसामान्य को अनुज्ञापत्र में वर्णित स्टाम्प्स की बिक्री, नियत स्थान पर तथा नियमानुसार निर्धारित राशि तक के स्टाम्प्स विक्रय कर सकेगा। अनुज्ञा–पत्र जारी करने के लिए आवेदक की योग्यता एवं अनुज्ञा–पत्र फीस तथा उसके नवीनकरण शुल्क की राशि के संबंध में नियम–24 में प्रावधान किए गए है। उपमहानिरीक्षक एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा 1 वर्ष की अवधि के लिए अनुज्ञा–पत्र निर्धारित प्रपत्र–बी में वर्णित शर्तो सहित जारी किया जा सकता है। ऐसे अनुज्ञा–पत्र की समयावधि समाप्त होने से कम से कम 15 दिवस पूर्व अनुज्ञा–पत्र के नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किया जाना अपेक्षित है। राजस्थान स्टाम्प नियम–2004 में वर्णित नियमों अथवा अनुज्ञा–पत्र में वर्णित शर्तो का स्टाम्प वेण्डर द्वारा उल्लंघन/अवहेलना किए जाने पर नियम–25 के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र के निरसन/प्रतिसंहरण (Revocation) की कार्यवाही की जा सकती है।

प्रायः देखने में आया है कि कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा अनुज्ञप्ति धारक का निरीक्षण किये जाने पर अथवा उसके विरूद्ध शिकायत/परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण मे समुचित एवं सुसंगत तथ्यों की जांच किए बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ही अनुज्ञा–पत्र निरस्तीकरण के प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित कर सहमति प्रदत्त करने हेतु लिखा जाता है, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। यह भी देखने मे आया है कि आपके द्वारा जारी अनुज्ञा–पत्र निरस्तीकरण के आदेशों में तथ्यों का पूर्ण विवरण एवं अनुज्ञा–पत्र धारक द्वारा नियमों/शर्तो की अवहेलना के तथ्यों का समावेश नही किया जाता है।

माननीय उच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में इस प्रकार के प्रकरणों में नॉन–स्पीकिंग आदेश जारी करने एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अनुपालना में सुनवाई का अवसर प्रदत्त नहीं किए जाने को उचित नहीं माना है तथा विभाग द्वारा जारी अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण के आदेश को उपरोक्त आधारों पर निरस्त कर दिया जाता है। अनुज्ञापत्र निरस्तीकरण की कार्यवाही निरस्त हो जाने से अनुज्ञापत्र धारकों द्वारा नियमों/शर्तो की अवज्ञा की कार्यवाहियों को बढ़ावा मिलता है तथा विभाग की छवि पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। राजस्थान स्टाम्प नियम–2004 के प्रावधानों की पूर्णरूपेण पालना सुनिश्चित करनें के लिए ठोस कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि किसी भी शिकायत/परिवाद के तथ्यों की सम्पूर्ण जांच की जावें। जांच में नियमों/शर्तो की अवज्ञा व अनियमितताएं साबित होनें पर मय साक्ष्यों के कलक्टर (मुद्रांक) अपनी स्पष्ट टिप्पणी सहित मुद्रांक विक्रेताओं के अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने के लिए इस कार्यालय की सहमति हेतु प्रस्ताव भिजवाये जावें। साथ ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अनुपालना करते हुए अनुज्ञा पत्र धारक को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जावे। इस कार्यालय से सहमति प्राप्त होनें के उपरांत आपके कार्यालय द्वारा अनुज्ञापत्र निरसन के आदेश में पूर्ण तथ्यों का समावेश कर स्वमुखरित (Speaking) आदेश जारी किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

Sd/-
(शरद मेहरा)
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान अजमेर

क्रमांक एफ.4(300)(1) स्टा./वैण्डर/704-64 दिनांक : 24.06.2022

प्रलिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. **समस्त अतिरिक्त महानिरीक्षक**, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान।
2. **समस्त उपमहानिरीक्षक**, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान।
3. **समस्त कोषाधिकारी**, राजस्थान।
4. **समस्त** शाखा प्रभारी, मुख्यालय अजमेर।

(सीमा शर्मा)
अतिरिक्त महानिरीक्षक(प्रशासन)
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
राजस्थान, अजमेर